रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112022-240444
CG-DL-E-19112022-240444

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944
No. 588] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवंबर, 2022

**फा.सं. पीएनजीआरबी/कॉम/2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2019 खंड-IV (पी-4121):** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 11 के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**

   (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2022 कहा जाएगा।

   (2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 में, -

   (i) विनियम 2 के उप-विनियम (1) में, -

   (क) खंड (घ) के लिए, "से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस .." से शुरू होने वाले शब्दों और "पर बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित होगा “ के साथ समाप्त होने वाले शब्दों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ निर्धारित करने के उद्देश्य से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को अधिकृत करना) विनियम, 2008 में परिभाषित अनुसार अधिकृत क्षमता होगी।

बशर्ते कि जहां-कहीं भी इस संशोधित विनियम की अधिसूचना से पहले बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम टैरिफ आदेश में पूर्व में विचार की गई अधिकृत क्षमता और क्षमता के बीच कोई परिवर्तन होता है, तो नवीनतम टैरिफ आदेश में पूर्व में विचार की गई ऐसी क्षमता को टैरिफ निर्धारित करने के उद्देश्य से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता माना जाएगा।

बशर्ते कि किसी एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की प्रारंभिक क्षमता, यदि कोई हो, का निर्धारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2010 में निर्दिष्ट आधार पर और बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसार किया जाएगा। जब तक बोर्ड द्वारा ऐसी क्षमता का निर्धारण और अनुमोदन नहीं किया जाता है, एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता, यदि कोई हो, को अनंतिम आधार पर निम्नलिखित के उच्चतर रूप में लिया जाएगा:

(क) एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के सभी घटक पाइपलाइनों की कुल क्षमता, उनके संबंधित नवीनतम टैरिफ आदेशों के अनुसार होगी, जिसमें ऐसी घटक पाइपलाइनों की क्षमता शामिल नहीं होगी, जिसमें कोई अलग प्राकृतिक गैस स्रोत, यदि कोई हो, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा न हो; या

(ख) एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता जैसा कि संबंधित कंपनी द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।

बशर्ते आगे यह कि कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम की क्षमता, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्धारण) विनियम, 2010 के विनियम 5 के उप-विनियम (5) के खंड (छ) के अनुसार, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की संशोधित क्षमता, यदि कोई आवश्यक हो, प्रस्तुत करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2010 के विनियम 5 के उप-विनियम (5) के खंड (छ) के अनुसार ऐसी संशोधित क्षमता या आशोधित के रूप में, बोर्ड द्वारा इसके अनुमोदन के बाद टैरिफ निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा।"

(ख) खंड (ड.क) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ड.कक) टैरिफ के उद्देश्य के लिए "एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन" का अर्थ है निम्नलिखित श्रेणियों की ऐसी पाइपलाइन(नें) जो सीधे परस्पर जुड़ी हुई हैं (जिनमें वे पाइपलाइनें भी शामिल हैं जिन्हें आंशिक रूप से चालू किया जा सकता है और इस तरह परस्पर जुड़ी हैं) जैसा कि किसी कंपनी द्वारा एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और जैसा कि बोर्ड द्वारा टैरिफ आदेश के तहत सूचीबद्ध किया जा सकता है:

i) नियत दिन से पहले केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत और पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को अधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 17 के तहत बोर्ड द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए स्वीकृत;

ii) नियत दिन से पहले प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने और बोर्ड द्वारा पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को अधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 18 के तहत ऐसी गतिविधियों के लिए अधिकृत करना;

iii) एक समर्पित पाइपलाइन बिछाना, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करना जिसे पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को अधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 19 के उप-विनियम (1) या (2) के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परिवर्तित किया जाता है; या

iv) अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी नीति निर्देश के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिकृत करना;

**स्पष्टीकरण 1:** एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का वही अर्थ होगा जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए दिया गया है।

**स्पष्टीकरण 2:** बोर्ड इन विनियमों के विनियम 4 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया अपनाएगा और उसके बाद ऐसी सूची के संबंध में निर्णय लेगा ताकि निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके:

(क) दूर-दराज के क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की खपत को प्रोत्साहित करने वाले कारक;

(ख) उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और साथ ही तर्कसंगत ढंग से परिवहन की लागत की वसूली करना;

(ग) प्राकृतिक गैस का समान वितरण सुनिश्चित करना;

(घ) टैरिफ के निर्धारण और उसे सरल बनाने में सरलीकरण, स्थिरता और पूर्वानुमान लगाना सुनिश्चित करना;

(ङ.) एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के टैरिफ की तुलना में योज्य परिवहन टैरिफ के प्रभाव को कम करना।

**व्याख्यात्मक ज्ञापन:**

"इस संशोधन के तहत टैरिफ और अन्य संबंधित विनियामक प्रावधानों के उद्देश्य के लिए एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ को तर्कसंगत बनाने हेतु विनियामक सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इस सम्बन्ध में:

1. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I खंड 1 में फा.सं. एल-12022/1/03-जीपी (भाग II) में दिनांक 20.12.2006 को अधिसूचित भारत सरकार के प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए नीति के पैरा 14 में एक राष्ट्रीय गैस ग्रिड के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

2. "2030-भारत में प्राकृतिक गैस अवसंरचना" शीर्षक वाली पीएनजीआरबी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ भौगोलिक दृष्टि से वंचित स्थानों में स्थित ग्राहकों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक परिपक्व टैरिफ प्रणाली को अपनाने की भी परिकल्पना की गई है।

3. किसी कंपनी के बहु योज्य पाइपलाइन टैरिफ की प्रयोज्यता से बचने के लिए, टैरिफ के उद्देश्य हेतु एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रावधान पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है ताकि इसके सरलीकरण लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके तथा अधिक स्थिर एकीकृत टैरिफ बनाने की दिशा में एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में उपयोग किया जा सके।";

(ग) खंड (च) के लिए, "प्राकृतिक गैस के परिवहन " से शुरू होने वाले शब्दों और "विनियम, 2008 द्वारा विनियमित हो " के साथ समाप्त होने वाले शब्दों को "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए कंपनियों को अधिकृत करना) विनियम, 2008 के तहत परिभाषित " शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।;

(घ) खंड (ज) के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"( जक) "पारेषण हानि" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2008 के विनियम 2(1) में परिभाषित अनुसार है।";

(ii) विनियम 3 के उप-विनियम (1) में, "केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत.." शब्दों के बाद और "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के विनियम 17 के तहत" शब्दों से पहले, "नियत दिन से पहले" शब्दों को जोड़ा जाएगा और अंत में "प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का विस्तार" शब्दों के बाद "नियत दिन से पहले" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iii) विनियम 3 के उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(6) एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाना, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करना।";

(iv) विनियम 4 के उप-विनियम (1) में, शब्द "अथवा " को "," द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, और "उप-विनियम (3)" शब्दों के बाद, "उप-विनियम (4) अथवा उप-विनियम (6)", शब्दों द्वारा अंत:स्थापित किया जाएगा;

(v) विनियम 5 के उप-विनियम (2) में,-

(क) खंड (क) से (ग) और परंतुक में "खंड" शब्द को, "उप-विनियम" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"(घ) बोर्ड द्वारा स्वीकृति की तारीख के नब्बे दिनों के भीतर विनियम 3 का उप-विनियम (4);

(ड.) एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर विनियम 3 का उप-विनियम (6)।"

(ग) पहले परंतुक में, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बोर्ड द्वारा प्राधिकृत करने शब्दों के बाद और तारीख से पहले ''या स्वीकृति'' शब्द जोड़े जाएंगे, और " खंड (2) में अथवा को द्वारा शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा और "खंड (3)" शब्दों के बाद, "या उप-विनियम(4)" शब्दों को जोड़ा जाएगा;

(घ) दूसरे परंतुक में, "बशर्ते आगे कि प्रारंभिक इकाई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क…." शब्दों के बाद, और "........बोर्ड द्वारा अनंतिम रूप से तय किया जाएगा" शब्दों से पहले, "विनियम 3 के उप-विनियम (4) के उप-विनियम (1) के लिए यथा लागू" शब्द जोड़े जाएंगे;

(vi) अनुसूची क के लिए, -

(क) अनुसूची के खंड 3 के 'स्पष्टीकरण' के लिए, अंत में, निम्नलिखित जोड़े जाएंगे , अर्थात्:-

"इस संशोधन विनियम के वित्तीय वर्ष से आयकर की इतनी कम नाममात्र दर लागू की जाएगी।"

(ख) खंड 5 में, -

i. "जो भी कम हो..." शब्दों के बाद और " के आधार पर गणना की जाएगी " शब्दों से पहले, "निर्दिष्ट किए गए को छोड़कर" शब्द जोड़े जाएंगे;

ii. उप-खंड (2) के बिंदु (ख) में, कोष्ठक में शब्द "में प्रयुक्त" प्रणाली-उपयोग प्राकृतिक गैस की मात्रा पर वसूल नहीं किया गया" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"उस पर, प्राकृतिक गैस की मात्रा के अनुरूप, जिसे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के "टैरिफ निर्धारण के लिए भाजक के रूप में माने जाने वाले प्राकृतिक गैस की मात्रा के अधिकतम 2% के अधीन" के लिए भाजक माना जाता है।)"

iii. प्वाइंट (ख)के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण:

टैरिफ निर्धारित करने हेतु संबंधित वर्षों के लिए वास्तविक ईंधन लागत को भाजक के रूप में माने जाने वाली मात्रा से गुणा किया जाएगा और वास्तविक मात्रा प्रवाह से विभाजित किया जाएगा।"

iv. पवाइंट (ग) के बाद, निम्नलिखित पवाइंट जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) वास्तविक मात्रा के 0.1% की दर से पारेषण हानि, गैस की कीमत तथा लागू पारेषण शुल्क से गुणा की जाती है।

बशर्ते कि भावी वर्षों में, पारेषण हानि की गणना के लिए पाइपलाइन की संभावित भावी मात्रा पर विचार किया जाएगा।

बशर्ते आगे कि पारेषण हानि की गणना के लिए प्रयुक्त गैस की कीमत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21.03.2016 की अधिसूचना सं. ओ-22013/27/2012-ओएनजी-डी-वी (मात्रा-II) के अनुसार पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण

प्रकोष्ठ द्वारा विपणन के लिए जारी गैस मूल्य सीमा होगी, जिसमें गहरे पानी, अत्यधिक गहरे पानी और उच्च दबाव-उच्च तापमान क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित गैस के लिए मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता या वास्तविक गैस मूल्य, जो भी संबंधित अवधि के लिए कम हो, शामिल है;

v. उप-खंड (8) के लिए, शुरुआत में, "प्रचालन लागतों के विरुद्ध विविध आय का समायोजन: विनियमित परिसंपत्ति आधार से कंपनी द्वारा अर्जित वित्तीय वर्ष-वार वास्तविक राजस्व, सहित" जोड़ा जाएगा; और, अंत में, "को निवल परिचालन लागत माना जाएगा" शब्द को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"तय किया जाएगा। यदि ऐसे वास्तविक राजस्व पर विचार करते हुए, समीक्षा परिणाम की तारीख को कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिलाभ अनुसूची क के खंड 3 के अनुसार प्रतिलाभ की अनुमेय दर से अधिक होता है, तो टैरिफ में समायोजन किया जाएगा ताकि कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिलाभ को समीक्षा की तारीख को अनुसूची क के खंड 3 के अनुसार प्रतिलाभ की अनुमेय दर के बराबर किया जा सके।"

(ग) खंड 6 में,

i. उप-खंड (1) में, "प्रामाणिक या वास्तविक आधार, जो भी अधिक हो" शब्दों के बाद, और "मानक के आधार पर मात्रा की गणना की जाएगी" शब्दों से पहले निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि भावी वर्षों के मामले में, यदि मात्रा, मानक मात्रा से अधिक हो जाती है तो पीएनजीआरबी कंपनी द्वारा प्रदान की गई मानक मात्रा और संभावित भावी मात्रा सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए मात्रा पर विचार करेगा।"

ii. उप-खंड (1) के बिंदु (क) के लिए, "पहले पांच वर्षों के ....." से शुरू होने वाले शब्दों और "... पांचवें 100%" शब्दों से पहले निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"इसके प्रचालन के पहले दस वर्षों के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का चरण या क्षमता में किसी भी बाद के विस्तार (विस्तार के अलावा जिसमें खंड 6 (1) (ग) लागू है) वर्ष के लिए लागू प्रतिशत उपयोग को गुणा करके प्राप्त किया जाएगा, जो नीचे दर्शाए गए आधार के अनुसार होगी, जिसमें प्राकृतिक गैस पाइपलाइन या प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रत्येक चरण की क्षमता का पचहत्तर प्रतिशत या क्षमता का प्रत्येक विस्तार, जैसा भी मामला हो, शामिल होगा:

| **प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रचालन का वर्ष** | **प्रतिशत उपयोग** |
|---|---|
| पहला | 30% |
| दूसरा | 35% |
| तीसरा | 40% |
| चौथा | 45% |
| पांचवां | 50% |
| छठा | 60% |
| सातवां | 70% |
| आठवां | 80% |
| नौवां | 90% |
| दसवां और आगे | 100% |

iii. उप-खंड (1) के बिंदु (ख) के लिए, "छठे और बाद के वर्षों ..." से शुरू होने वाले और "... विनियम, 2010" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्राकृतिक गैस पाइपलाइन या प्राकृतिक गैस पाइपलाइन या क्षमता के प्रत्येक विस्तार के प्रत्येक चरण के प्रचालन के ग्यारहवें और बाद के वर्षों, जैसा भी मामला हो (विस्तार के अलावा जिसमें खंड 6 (1) (ग) लागू है) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन या वास्तविक मात्रा (समुंद्री जहाज या देय मात्रा सहित) की क्षमता के पचहत्तर प्रतिशत के बराबर होगा"

iv. उप-खंड (1) के बिंदु (ग) और (घ) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) किसी भी अन्य विनियमों में निहित किसी भी चीज के बावजूद, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में किसी भी नए प्राकृतिक गैस स्रोत को जोड़ने के मामले में, जो 01.04.2020 और उसके बाद से किसी भी समय किया जाता है, पाइपलाइन की क्षमता में कोई वृद्धि, यदि कोई हो, जो ऐसे नए स्रोत को जोड़ने के कारण होती है, पर संबंधित स्रोत के कारण पाइपलाइन कनेक्टिविटी के चालू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण में विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) यह स्पष्ट किया जाता है कि एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पर किसी अन्य सामान्य वाहक या संविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से इंटरकनेक्शन के कारण किसी भी नए इंजेक्शन बिंदु को टैरिफ के निर्धारण के लिए क्षमता विस्तार के रूप में नहीं माना जाएगा। बशर्ते कि कंपनी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को अधिकृत करना) विनियम, 2008 के साथ-साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम,

पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2010" के तहत, जब कभी अपेक्षित हो, अनुमोदन प्राप्त किया हो;

v. प्वाइंट (ङ.), "किसी बात के होते हुए......" से शुरू होने वाले शब्दों और ".....या कनेक्टिविटी में अनुबंध" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों का लोप किया जाएगा;

(घ) खंड 7 में, अंत में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि, किसी भी एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मामले में, किसी भी विनियम में किसी चीज के शामिल होने के बावजूद, इन विनियमों के तहत टैरिफ निर्धारण के उद्देश्य के लिए इसके आर्थिक जीवन को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के शेष आर्थिक जीवन के आधार पर माना जाएगा जो प्रचालन की नवीनतम चालू होने की तारीख के साथ ऐसी सूचीबद्ध एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का हिस्सा है";

(ङ.) खंड 8 के उप-खंड (2) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मामले में टैरिफ ज़ोन पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ के विभाजन के उद्देश्य से, किसी भी विनियम में निहित किसी बात के होते हुए, बोर्ड, आदेश द्वारा, पारदर्शी तरीके से इन विनियमों के विनियम 4 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया को अपनाने के बाद टैरिफ जोन की संख्या को सरल बनाने और कम करने पर विचार कर सकता है।"

(च) खंड 9 में, -

i. उप-खंड (1) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि, पांच साल की अवधि के लिए या किन्हीं दो लगातार टैरिफ समीक्षाओं के बीच की अवधि के लिए, जैसा भी मामला हो, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, एक समान स्तरीय टैरिफ के स्थान पर, टैरिफ गणना के लिए डीसीएफ मॉडल इन विनियमों के विनियम 4 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया को अपनाने के बाद बोर्ड, आदेश द्वारा अनुमोदित पूर्व-निर्दिष्ट दर पर समान स्तर पर लाए गए टैरिफ में क्रमिक वार्षिक वृद्धि का प्रावधान कर सकता है। तदनुसार, ऐसी पूर्व-निर्दिष्ट दर के आधार पर धीरे-धीरे बढ़ते हुए वर्ष-वार जोनल टैरिफ लगाया जाएगा।"

ii. उप-खंड (3) के लिए, "जाएंगी" से शुरू होने वाले शब्दों और ''समानता में परिवर्तन'' से समाप्त होने वाले शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"जैसा वास्तविक पूंजी, परिचालन लागत और खंड 4, 5 और 6 के तहत निर्दिष्ट मात्रा के लिए आवश्यक है;

iii. उप-खंड (8) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्रारंभिक इकाई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ या किसी भी टैरिफ समीक्षा के बाद लगातार पांच वर्षों के दौरान, खंड 4, 5 और 6 के तहत निर्दिष्ट अनुसार पूंजी, प्रचालन लागत और मात्रा में वास्तविक के संबंध में परिवर्तन के कारण डीसीएफ गणना में समायोजन आवश्यकतानुसार संबंधित वर्षों में किया जाएगा।"

(छ) खंड 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) खंड 6(1) के अनुसार मानी जाने वाली मानक मात्रा में समायोजन किया जाएगा, जहां मानक वास्तविक मात्रा से अधिक है। समायोजन की सीमा पाइपलाइन के आर्थिक जीवन के किसी भी वर्ष(र्षों) में मानी जाने वाली मानक मात्रा से अधिक वास्तविक मात्रा के बीच के अंतर तक अधिकतम होगी।

(2) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रचालन के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के बाद कंपनी द्वारा तीन महीने के भीतर वास्तविक मात्रा को दर्शाने वाला एक लेखा-परीक्षित विवरण बोर्ड को आवश्यक समायोजन की सलाह देने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) इस प्रकार समायोजित टैरिफ भी बाद की अवधि के लिए तब तक लागू रहेगा जब तक कि उसे संशोधित, समायोजित नहीं किया जाता है या उसकी समीक्षा नहीं की जाती है।

मात्रा समायोजन का एक उदाहरण इस प्रकार है

पाइपलाइन का नाम: कखग

स्थापना के समय की मात्रा

| **विवरण** | वर्ष 1 | वर्ष 2 | वर्ष 3 | वर्ष 4 | वर्ष 5 | वर्ष 6 | वर्ष 7 | वर्ष 8 | वर्ष 9 | वर्ष 10 | वर्ष 11 | वर्ष 12 | वर्ष 13 | वर्ष 14 | वर्ष 15 | वर्ष 16 | वर्ष 17 | वर्ष 18 | वर्ष 19 | वर्ष 20 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पाइपलाइन की क्षमता | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मानक का % | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मानक खंड | 11.25 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |
| वास्तविक मात्रा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **विचार की जाने वाली मात्रा** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| समायोजन से पहले | 11.25 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |
| समायोजन के बाद | 11.25 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |

स्थापना के 5 वर्षो के बाद मात्रा समायोजन और मात्रा

| **विवरण** | वर्ष 1 | वर्ष 2 | वर्ष 3 | वर्ष 4 | वर्ष 5 | वर्ष 6 | वर्ष 7 | वर्ष 8 | वर्ष 9 | वर्ष 10 | वर्ष 11 | वर्ष 12 | वर्ष 13 | वर्ष 14 | वर्ष 15 | वर्ष 16 | वर्ष 17 | वर्ष 18 | वर्ष 19 | वर्ष 20 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पाइपलाइन की क्षमता | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मानक का % | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मानक खंड | 11.25 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |
| वास्तविक मात्रा | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **विचार की जाने वाली मात्रा** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| समायोजन से पहले | 12.00 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.75 |
| समायोजन के बाद | 12.00 | 12.50 | 14.88 | 16.88 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |

स्थापना के 10 वर्षों के बाद मात्रा समायोजन और मात्रा

| **विवरण** | **वर्ष 1** | **वर्ष 2** | **वर्ष 3** | **वर्ष 4** | **वर्ष 5** | **वर्ष 6** | **वर्ष 7** | **वर्ष 8** | **वर्ष 9** | **वर्ष 10** | **वर्ष 11** | **वर्ष 12** | **वर्ष 13** | **वर्ष 14** | **वर्ष 15** | **वर्ष 16** | **वर्ष 17** | **वर्ष 18** | **वर्ष 19** | **वर्ष 20** | **कुल** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पाइप लाइन की क्षमता | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मानक का % | 30 % | 35 % | 40 % | 45 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मानक खंड | 11.25 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |
| वास्तविक मात्रा | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 25.00 | 24.00 | 28.00 | 30.00 | 33.00 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 581.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **विचार की जाने वाली मात्रा** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| समायोजन से पहले | 12.00 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 25.00 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 603.25 |
| समायोजन के बाद | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 16.26 | 18.75 | 25.00 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |

स्थापना के 15 वर्षों के बाद मात्रा समायोजन और मात्रा

| **विवरण** | **वर्ष 1** | **वर्ष 2** | **वर्ष 3** | **वर्ष 4** | **वर्ष 5** | **वर्ष 6** | **वर्ष 7** | **वर्ष 8** | **वर्ष 9** | **वर्ष 10** | **वर्ष 11** | **वर्ष 12** | **वर्ष 13** | **वर्ष 14** | **वर्ष 15** | **वर्ष 16** | **वर्ष 17** | **वर्ष 18** | **वर्ष 19** | **वर्ष 20** | **कुल** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पाइप लाइन की क्षमता | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मानक का % | 30 % | 35 % | 40 % | 45 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मानक खंड | 11.25 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |
| वास्तविक मात्रा | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 25.00 | 24.00 | 28.00 | 30.00 | 33.00 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 616.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **विचार की जाने वाली मात्रा** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 में समायोजन से पहले | 12.00 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 25.00 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 638.25 |
| 2022 में समायोजन के बाद | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 25.00 | 24.00 | 28.00 | 30.00 | 33.00 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 616.50 |

**टिप्पणियाँ:**

i. समायोजित क्रेडिट मात्रा, मानक मात्रा से अधिक वास्तविक मात्रा के बीच का अंतर है

ii. मात्रा समायोजन, अधिकतम संचयी समायोजित ऋण मात्रा तक किया जाएगा। किसी भी वर्ष में मात्रा समायोजन, वास्तविक मात्रा में मानक मात्रा से कम अंतर से अधिक नहीं हो सकता है।

iii. मात्रा समायोजन की अनुमति इस तरह से दी जाएगी कि टैरिफ के लिए माना जाने वाली मात्रा आर्थिक जीवन पर संभावित आधार पर संचयी मानक मात्रा से कम नहीं होगी।

iv. पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऐसे मात्रा समायोजन की अनुमति दी जाएगी।

v. इस संशोधन से पहले की अवधि के लिए कोई समायोजित ऋण मात्रा या मात्रा समायोजन पर विचार नहीं किया जाएगा अर्थात् यह संभावित आधार पर उपलब्ध होगा।

vi. आर्थिक जीवन के अंत में, यदि मात्रा का कोई समायोजित ऋण उपलब्ध है, तो वह समाप्त हो जाएगा।";

अनिल कुमार गर्ग, संयुक्त सलाहकार (प्रशा.)

[विज्ञापन-III/4/असा./410/2022-23]

**पाद-टिप्पणी:** मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) में सं. जी.एस.आर. 807(अ.), दिनांक 20 नवंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और बाद में जी.एस.आर. 986(अ.), दिनांक 20 दिसंबर, 2010, फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/11/अंतिम टैरिफ फाइलिंग, दिनांक 30 मई, 2012, पीएस/ सचिव/एम(सी)/2012, दिनांक 13 सितंबर, 2012, फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48, दिनांक 17 फरवरी, 2014, एफ.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/100, दिनांक 27 फरवरी, 2014, एफ.सं.एल-एमआईएससी/VI/ आई/20017, दिनांक 01 जनवरी, 2015, पीएनजीआरबी/ एम(सी)/110, दिनांक 08 जनवरी, 2016, फा.सं. पीएनजीआरबी/कॉम/2-एनजीपीएल टैरिफ (3)/2019, दिनांक 27 मई, 2019 फा.सं. पीएनजीआरबी/कॉम/2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2019 मात्रा-II, दिनांक 27 मार्च, 2020, फा.सं. पीएनजीआरबी/ सीओएम/2-एनजीपीएल/ टैरिफ (3)/2014 खंड IV (भाग-1) (पी-1439) दिनांक 23 नवंबर, 2020 और फा.सं. पीएनजीआरबी/ सीओएम/2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2014 खंड IV (भाग-1) (पी-1439) दिनांक 23 नवंबर, 2020 द्वारा संशोधित किये गये थे

**PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th November, 2022

**F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3) /2019 Vol-IV (P-4121).**—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (2) of section 61 read with clause (e) of section 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, namely:-

**1. Short title and commencement.**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, —

(i) in sub-regulation (1) of Regulation 2, -

(a) for clause (d), the words beginning with "means the capacity of natural gas pipeline…..", and ending with the words "……..for determining the capacity of natural gas pipeline;", shall be substituted by the following, namely: —

**"**for the purpose of determining natural gas pipeline tariff under Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008 shall be the authorized capacity as defined in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.

Provided that wherever there is any change between the authorised capacity and the capacity as already considered in the latest tariff order issued by the Board prior to the notification of this amended regulation, then such capacity as already considered in the latest tariff order shall be considered as capacity of natural gas pipeline for the purpose of determining tariff.

Provided that the initial capacity of an integrated natural gas pipeline, if any, shall be as determined as per the basis as specified in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010, and approved by the Board. Till such capacity is determined and approved by the Board, the capacity of an integrated natural gas pipeline, if any, shall be taken on a provisional basis as the higher of:

(a) sum total of capacity of all the constituent pipelines of the integrated natural gas pipeline, in accordance with their respective latest tariff orders, excluding capacity of such constituent pipelines which do not have any separate natural gas source directly connected to it, if any; or

(b) the capacity of an integrated natural gas pipeline as may be submitted by the concerned entity.

Provided further that entity shall submit the revised capacity of the natural gas pipeline, if any as may be necessary, in terms of clause (g) of sub regulation (5) of regulation 5 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010. Such revised capacity or as modified in terms of clause (g) of sub regulation (5) of regulation 5 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010, shall be considered for the tariff determination after its approval by the Board."

(b) after clause (ea), following clause shall be inserted, namely:-

"(eaa) "integrated natural gas pipeline" for the purpose of tariff means such pipeline(s) of following categories which are directly interconnected (including those which may be partly commissioned and so interconnected) as may be submitted by an entity as an integrated natural gas pipeline and as may be enlisted under the tariff order by the Board:

i) authorized by the Central Government before the appointed day and accepted by the Board under regulation 17 of PNGRB (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008 for laying, building, operating or expanding a natural gas pipeline;

ii) laying, building, operating or expanding a natural gas pipeline before the appointed day and authorized by the Board for such activities under regulation 18 of PNGRB (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008;

iii) laying, building, operating or expanding a dedicated pipeline which is converted into a natural gas pipeline under the provisions of sub-regulation (1) or (2) of regulation 19 of PNGRB (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008; or

iv) authorized by the Board pursuant to a policy directive issued by the Central Government under sub-section (2) of section 42 of the Act;

**Explanation 1**: An integrated natural gas pipeline shall have the same meaning as a natural gas pipeline.

**Explanation 2**: The Board shall adopt public consultation process as per the provisions as specified in regulation 4 of these regulations and thereupon take a decision in respect of such enlistment so as to achieve one or more of the following objectives:

(a) the factors which may encourage consumption of natural gas in far-flung areas;

(b) safeguarding consumer interest and at the same time recovery of cost of transportation in a reasonable manner;

(c) securing equitable distribution of natural gas;

(d) to ensure simplification, stability and predictability in determination and simplification of tariffs;

(e) minimizing the impact of additive transportation tariffs vis-à-vis tariff of integrated natural gas pipeline.

**Explanatory Memorandum:**

"Integrated natural gas pipeline for the purpose of tariff and other related regulatory provisions under this amendment are a part of regulatory reform process for rationalization of tariffs. In this regard:

1. Para 14 of the Policy for Development of Natural Gas Pipelines and City or Local Natural Gas Distribution Networks of the Government of India notified on 20.12.2006 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I Section 1 with F. No. L-12022/1/03-GP (Pt. II) has envisaged facilitating the creation of a National Gas Grid.
2. The PNGRB Report titled "2030-Natural Gas Infrastructure in India" has also envisaged switching over to a mature tariff system inter-alia for providing access to customers located in geographically disadvantaged locations.
3. For avoidance of applicability of multiple additive pipeline tariffs of a single entity, provision for integrated natural gas pipeline for the purpose of tariff is being considered by the Board so that the same would be used as a building block towards achieving the goal of simplification and more stable unified tariff.";

(c) for clause (f), the words beginning with "any pipeline including spur lines……" and ending with " Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008" shall be substituted, by the words "as defined under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities for Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.";

(d) after clause (j), following shall be inserted, namely:-

"(ja) "transmission loss" means as defined in regulation 2(1) of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.";

(ii) in sub-regulation (1) of Regulation 3, after the words "authorized by the Central Government.." and before the words "under regulation 17 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board." the words "before the appointed day", shall be inserted and at the end after the words "expanding a natural gas pipeline" the words "before the appointed day" shall be omitted.

(iii) after sub-regulation (5) of Regulation 3, the following sub-regulation shall be interested, namely:-

"(6) laying, building, operating or expanding an integrated natural gas pipeline.";

(iv) in sub-regulation (1) of Regulation 4, the word "or", shall be substituted by ",", and after the words "sub-regulation (3)" the words ", sub-regulation (4) or sub-regulation (6)", shall be inserted;

(v) in sub-regulation (2) of Regulation 5,-

(a)for the word "clause" in clauses (a) to (c) and proviso, shall be substituted by the word "sub-regulation";

(b) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(d) sub-regulation (4) of regulation 3, within ninety days of the date of acceptance by the Board;

(e) sub-regulation (6) of regulation 3, within ninety days from the date of submission of request for integrated natural gas pipeline."

(c)in first proviso, after the words "or the date of authorization" and before the words "by the Board of natural gas pipeline", the words "or acceptance" shall be inserted, and after the words "to in clause (2)", the word "or", shall be substituted by "," and after the words "clause (3)", the words "or sub-regulation (4)", shall be inserted;

(d) in second proviso, after the words, "Provided further that the initial unit natural gas pipeline tariff…." and before the words "……..shall be provisionally fixed by the Board", the words "as applicable to sub-regulation (1) to sub-regulation (4) of regulation 3", shall be inserted;

(vi) for Schedule A,-

(a) for 'Explanation' of clause 3 of Schedule, at the end, the following shall be inserted, namely:-

"Such lowest nominal rate of income tax shall be applied with effect from the financial year of this amendment regulation."

(b) in clause 5,-

i. after the words "whichever is lower…." and before the words "over the following functional cost heads", the words "except as specified,", shall be inserted;

ii. in point (b) of sub-clause (2), the words in brackets "not recovered on the volume of system-use natural gas consumed in the natural gas pipeline" shall be substituted by the following, namely:-

"thereon, corresponding to the volumes of natural gas considered as divisor for tariff determination subject to maximum of 2% of the volumes of natural gas considered as divisor for tariff determination of the natural gas pipeline)."

iii. After point (b), the following explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation:

Actual fuel cost for the respective years shall be multiplied by the volumes considered as divisor for determining tariff and divided by actual volumes flow.;"

iv. after point (c), the following point shall be inserted, namely:-

"(d) transmission loss @ 0.1% of the actual volume, multiplied by the gas price plus applicable transmission charges.

Provided that for the future years, likely future volumes of the pipeline shall be considered for calculating the transmission loss.

Provided further that the gas price used for calculation of transmission loss shall be the gas price ceiling issued by Petroleum Planning & Analysis Cell in accordance with Ministry of Petroleum and Natural Gas, Govt of India, Notification No.O-22013/27/2012-ONG-D-V (Vol-II) dated 21.03.2016 for marketing including pricing freedom for gas being produced from discoveries in Deepwater, Ultra Deepwater and High Pressure-High Temperature areas or actual gas price, whichever is lower for the respective period." ;

v. for sub-clause (8), at the beginning, the words "Adjustment of Miscellaneous income against Operating Costs: Financial Year-wise actual revenue earned by the entity from the regulated asset base, including", shall be inserted; and, at the end, the words "netted from the operating cost" shall be substituted by the following, namely,-

"worked out. If considering such actual revenue, return earned by the entity on the date of review results in more than the allowed rate of return as per clause 3 of Schedule A, then adjustment would be made in the tariff to make the return earned by the entity on the date of review equals to the allowed rate of return as per clause 3 of Schedule A."

(c) in clause 6,

i. in sub-clause (1), after the words "normative or actual basis, whichever is higher." and before the words "Volume on normative basis shall be calculated" the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in case of future years, PNGRB shall consider the volumes taking into account various factors including normative volumes and likely future volumes as provided by the entity, if higher than the normative volumes."

ii. for point (a) of sub-clause (1), the words starting with "of the first five years…..", and before the words "….Fifth 100%" the following shall be substituted namely:-

"phase of natural gas pipeline for the first ten years of its operations or any subsequent expansion in the capacity (other than expansion to which clause 6 (1) (c) is applicable) shall

be arrived by multiplying the applicable percentage utilization for the year, as per the basis indicated below, with seventy five per cent of the capacity of each phase of natural gas pipeline or of natural gas pipeline or each expansion of capacity, as the case may be:

| **Year of natural gas pipeline operations** | **Percentage utilization** |
|---|---|
| First | 30% |
| Second | 35% |
| Third | 40% |
| Fourth | 45% |
| Fifth | 50% |
| Sixth | 60% |
| Seventh | 70% |
| Eighth | 80% |
| Ninth | 90% |
| Tenth and onwards | 100% |

iii. for point (b) of sub-clause (1), the words beginning with "sixth and the subsequent years….", and ending with "….Regulations, 2010", shall be substituted by the following, namely:-

"eleventh and the subsequent years of operation of each phase of natural gas pipeline or of natural gas pipeline or each expansion of capacity, as the case may be (other than expansion to which clause 6 (1) (c) is applicable) shall be equal to the seventy-five per cent of the capacity of natural gas pipeline or actual volumes (including ship or pay volumes)"

iv. for point (c) and (d) of sub-clause (1), the following shall be substituted, namely:-

"(c) Notwithstanding anything contained in any other regulations, in case of addition of any new natural gas source to a natural gas pipeline which comes anytime from 01.04.2020 and onwards, any increase in the capacity of the pipeline, if any, because of such addition of such new source shall not be considered in the tariff determination for a period of five years from the date of commissioning of the pipeline connectivity due to the relevant source.

(d) It is clarified that any new injection point on a common carrier or contract carrier natural gas pipeline due to interconnection from another common carrier or contract carrier natural gas pipeline shall not be considered as capacity expansion for determination of tariff. Provided that the entity has taken approval wherever required in terms of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008 along with the increase in capacity due to such interconnection as per Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010.";

v. for point (e), the words starting with "notwithstanding anything contained….." and ending with "…..or tie in connectivity.", shall be omitted;

(d) in clause 7, at the end, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that, in case of any integrated natural gas pipeline, notwithstanding anything contained in any regulations, its economic life for the purpose of tariff determination under these regulations shall be considered based on the remaining economic life of the natural gas pipeline which is part of such an enlisted integrated natural gas pipeline with latest commissioning date of operation";

(e)after sub-clause (2) of clause 8, the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(3) Notwithstanding anything contained in any regulations, for the purpose of apportioning of the natural gas pipeline tariff over tariff zones in case of natural gas pipeline, the Board may, by order, consider to have simpler and reduced number of tariff zones after adopting public consultation process in this regard as per the provisions as specified in regulation 4 of these regulations, in a transparent manner."

(f) in clause 9,-

i. after sub-clause (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that, for a period of five years or for the period between any two consecutive tariff reviews as the case may be, in order to protect the interest of consumers, in place of a levelized tariff, the DCF model for tariff computation may provide for a gradual annual increase in the levelized tariff at a pre-specified rate as may be approved, by order, by the Board after adopting public consultation process in this regard as per the provisions as specified in regulation 4 of these regulations. Accordingly, a gradually increasing year-wise zonal tariff shall be charged based on such pre-specified rate."

ii. for sub-clause (3), the words beginning with "required for –…."and ending with "…..as per item (b) of subclause (2) of clause 6.", the following shall be substituted, namely: -

"as required for the actual capital, operating costs and volumes as specified under clause 4, 5 and 6;

iii. for sub-clause (8), following shall be substituted, namely: -

"Adjustments on account of the variations with respect to actuals in the capital, operating costs and volumes as specified under clause 4, 5 and 6, during the five consecutive years after the initial unit natural gas pipeline tariff or any tariff review shall be made in the DCF calculations in respective years as required."

(g) for clause 10, following shall be substituted, namely:-

"(1) Adjustment shall be carried out in the normative volumes considered as per clause 6 (1) where normative being higher than actual volumes. The extent of adjustment shall be maximum upto the difference between actual volumes higher than the normative volumes considered in any of the year(s) of the economic life of the pipeline.

(2) An audited statement showing actual volume shall be submitted by the entity to Board within three months after the conclusion of each financial year of natural gas pipeline operations to enable the Board to advise the necessary adjustments.

(3) The tariff so adjusted shall also be applicable for the subsequent period till the same is modified, adjusted or reviewed.

An illustration for volume adjustment are as follows:

Name of Pipeline: XYZ

Volumes at the time of inception

| Particulars | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19 | Year 20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity of Pipeline | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normative % | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normative Volumes | 11.25 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |
| Actual Volumes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Volume to be considered** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Before Adjustment | 11.25 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |
| After Adjustment | 11.25 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |

Volume adjustment and volume after five years of inception

| Particulars | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19 | Year 20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity of Pipeline | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normative % | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normative Volumes | 11.25 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |
| Actual Volumes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Volume to be considered** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Before Adjustment | 11.25 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |
| After Adjustment | 11.25 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |

Volume adjustment and volume after 10 years of inception

| Particulars | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19 | Year 20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity of Pipeline | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normative % | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normative Volumes | 11.25 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |
| Actual Volumes | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 25.00 | 24.00 | 28.00 | 30.00 | 33.00 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 581.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Volume to be considered** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Before Adjustment | 12.00 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 25.00 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 603.25 |
| After Adjustment | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 16.26 | 18.75 | 25.00 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |

Volume adjustment and volume after 15 years of inception

| Particulars | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19 | Year 20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity of Pipeline | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normative % | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normative Volumes | 11.25 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 600.00 |
| Actual Volumes | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 25.00 | 24.00 | 28.00 | 30.00 | 33.00 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 616.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Volume to be considered** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Before Amendment in 2022 | 12.00 | 13.13 | 15.00 | 16.88 | 18.75 | 25.00 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 638.25 |
| After Amendment in 2022 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 25.00 | 24.00 | 28.00 | 30.00 | 33.00 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 616.50 |

**Notes:**

i. Set Off Credit Volumes is the difference between actual volumes higher than normative volumes

ii. Volume adjustment shall be done subject to maximum of cumulative Set Off credit volumes. Volume adjustment in any year cannot be more than difference in actual volume lower than normative volume.

iii. Volume adjustment shall be allowed in such a way that volumes considered for tariff shall not be lower than the cumulative normative volumes on prospective basis over the economic life

iv. Such volume adjustment shall be allowed on FIFO basis

v. No Set Off Credit Volumes or Volume Adjustments shall be considered for the period prior to this amendment i.e. it will be available on prospective basis.

vi. At the end of the economic life, if any set off credit of volumes is available, it will lapse.";

ANIL KUMAR GARG, Jt. Adviser (Admin)

[ADVT.-III/4/Exty./410/2022-23]

**Foot-note :** Principal regulations were published in the Gazette of India (Extraordinary) vide No. G.S.R. 807(E), dated the 20th November, 2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. 986(E), dated 20th December, 2010, F. No. PNGRB/M(C)/11/Final Tariff Filing, dated 30th May, 2012, PS/Secy./M(C)/2012, dated 13th September, 2012, F. No. PNGRB/M(C)/48, dated 17th February, 2014, F. No. PNGRB/M(C)/100, dated 27th February, 2014, F. No. L-MISC/VI/I/20017, dated 01st January, 2015, PNGRB/M(C)/110, dated 08th January, 2016, F. No. PNGRB/COM/2-NGPL Tariff (3)/2019, dated 27th May, 2019 F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2019 Vol-II, dated 27th March, 2020, F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2014 Vol-IV (Part-1) (P-1439) dated 23rd November, 2020 and F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2014 Vol-IV (Part-1) (P-1439) dated 23rd November, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.19 22:23:27 +05'30'